पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की

राजभवन में आमजन का प्रवेश आगामी 3 अप्रैल तक पूर्णतया निषिद्ध रहेगा

लखनऊः 20 मार्च, 2020

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों से महामारी कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये आगामी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू (प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक) के सुझाव को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा है कि इस महामारी से बचाव में सहयोग कर राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान करें। प्रधानमंत्री के अनुरोध पर आवश्यक सेवाओं एवं उपचार में लगे लोगों के धन्यवाद और उत्साहवर्धन के लिये 22 मार्च को 5 बजे 5 मिनट के लिये अपने घरों के दरवाजे अथवा खिड़की पर आकर करतल ध्वनि कर धन्यवाद दें। राज्यपाल ने कहा है कि स्वयं भी बचें और दूसरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भीड़–भाड़ वाले स्थलों पर न जाने का आग्रह किया है। सभी लोग संयम बरतते हुए सामान संग्रह करने की होड़ तथा अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा कर रहे लोगों का 22 मार्च की शाम को 5 बजे 5 मिनट तक करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें। प्रधानमंत्री ने व्यापारी जगत व उच्च वर्ग के लोगों से आहवान करते हुए कहा कि हम जिन लोगों की सेवाएं लेते हैं उनके प्रति मानवीय रूख अपनाते हुए काम पर नहीं आने पर उनके वेतन में कटौती न करें।

राज्यपाल ने अपनी अपील में 22 मार्च दिन रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक घर से बाहर न निकलने तथा स्वयं को घर के अन्दर तक ही सीमित रहने का आग्रह किया है। अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि भीड़–भाड़ वाली एवं सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें।

राज्यपाल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने के लिए कहा गया है। राजभवन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य आगन्तुक प्रवेश द्वार पर पानी तथा लिक्विड सोप से हाथ धुलने एवं सेनिटाइजर से हाथ साफ करने के पश्चात् ही राजभवन के अन्दर प्रवेश करेंगे।

कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत राजभवन में आमजन का प्रवेश आगामी 3 अप्रैल तक पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।

ओ0पी0राय/राजभवन (151/7)